डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 68] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मार्च 2002—चैत्र 6, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-26/2002/वा. क./पांच (33).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अंक "31-3-2002" के स्थान पर अंक "31-3-2003" प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)
1.	ए-3-35-99, विक-पांच (64), दि. 10-7-99
2.	ए-3-10-2000, विक-पांच (11), दि. 21-1-2000
3.	ए-3-20-2000, विक-पांच (20), दि. 3-3-2000
4.	ए-3-28-2000, विक-पांच (22), दि. 29-3-2000
5.	ए-3-28-2000, विक-पांच (28), दि. 13-4-2000
6.	ए-3-28-2000, विक-पांच (29), दि. 13-4-2000

(1)	(2)
7.	ए-3-28-2000, विक-पांच (30), दि. 13-4-2000
8.	ए-3-28-2000, विक-पांच (36), दि. 17-4-2000
9.	ए-3-20-2000, विक-पांच (43), दि. 4-5-2000
10.	ए-3-80-1999, विक-पांच (46), दि. 26-5-2000
11.	ए-3-10-2000, विक-पांच (54), दि. 29-7-2000
12.	ए-3-49-2000, विक-पांच (57), दि. 5-8-2000
13.	ए-3-36-2000, विक-पांच (60), दि. 9-8-2000
14.	ए-3-53-2000, विक-पांच (68), दि. 24-8-2000
15.	ए-3-72-2000, विक-पांच (78), दि. 10-10-2000
16.	एफ-10-10-2001-वाक-पांच (4), दि. 30-3-2001
17.	एफ-10-258-2001-वाक-पांच (27), दि. 21-6-2001
18.	एफ-10-332-2001-वाक-पांच (37), दि. 10-8-2001
19.	एफ-10-382/2001/वाक/पांच (57), दि. 17-10-2001
20.	एफ-10-372/2001/वाक/पांच (63), दि. 8-11-2001
21.	एफ-10-392/2001/वाक/पांच (70), दि. 12-11-2001

2. उपरोक्त सूची के अनुक्रमांक 20 पर अधिसूचना में अनुसूची में अनुक्रमांक 1 के बाद निम्न अंत:स्थापित की जायेगी :—

2. जूट की रस्सी संपूर्ण कर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10/26/2002/वा. क./पांच (33)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/26/2002/वा. क./पांच (33), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-26/2002/CT/V (33).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following amendments :—

AMENDMENTS

1. In the Notifications given below for the figures "31-3-2002", the figures "31-3-2003" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. & Date (2)
1.	A-3-35-1999, ST-V (64), date 10-7-1999
2.	A-3-10-2000, ST-V (11), date 21-1-2000
3.	A-3-20-2000, ST-V (20), date 3-3-2000
4.	A-3-28-2000, ST-V (22), date 29-3-2000
5.	A-3-28-2000, ST-V (28), date 13-4-2000
6.	A-3-28-2000, ST-V (29), date 13-4-2000
7.	A-3-28-2000, ST-V (30), date 13-4-2000
8.	A-3-28-2000, ST-V (36), date 17-4-2000
9.	A-3-20-2000, ST-V (43), date 4-5-2000
10.	A-3-80-1999, ST-V (46), date 26-5-2000
11.	A-3-10-2000, ST-V (54), date 29-7-2000
12.	A-3-49-2000, ST-V (57), date 5-8-2000
13.	A-3-36-2000, ST-V (60), date 9-8-2000
14.	A-3-53-2000, ST-V (68), date 24-8-2000
15.	A-3-72-2000, ST.-V (78), date 10-10-2000
16.	F-10-10-2001-CT-V (4), date 30-3-2001
17.	F-10-258-2001-CT-V (27), date 21-6-2001
18.	F-10-332-2001-CT-V (37), date 10-8-2001
19.	F-10-382/2001/CT/V (57), date 17-10-2001
20.	F-10-372/2001/CT/V (63), date 8-11-2001
21.	F-10-392/2001/CT/V (70), date 12-11-2001

2. In the Notification, at serial number 20 in above list, in the schedule after serial No. 1 following shall be inserted :—

2.	Jute twine	whole of tax

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-27/2002/वा. क./पांच (34).—स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अंक "31-3-2002" के स्थान पर अंक "31-3-2003" प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)
1.	ए-3-20-2000, विक-पांच (19), दि. 3-3-2000
2.	ए-3-20-2000, विक-पांच (23), दि. 29-3-2000
3.	ए-3-28-2000, विक-पांच (32), दि. 13-4-2000
4.	ए-3-28-2000, विक-पांच (33), दि. 13-4-2000
5.	ए-3-28-2000, विक-पांच (34), दि. 13-4-2000
6.	ए-3-28-2000, विक-पांच (39), दि. 17-4-2000
7.	एफ-10-259/2001/वाक/पांच (28), दि. 21-6-2001
8.	एफ-10-376/2001/वाक/पांच (53), दि. 14-9-2001
9.	एफ-10-379/2001/वाक/पांच (55), दि. 5-10-2001
10.	एफ-10-379/2001/वाक/पांच (58), दि. 18-10-2001
11.	एफ-10-372/2001/वाक/पांच (64), दि. 8-11-2001

2. उपरोक्त सूची में क्रमांक 7 पर अधिसूचना में, अनुसूची में अनुक्रमांक 1 के बाद निम्न अंत: स्थापित किया जाएगा :—

2.	आटा, मैदा, सूजी और चोकर	प्रवेश कर मुक्त	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मालों का क्रय छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत अन्य व्यवसायी से किया जाए.
3.	केन बास्केट, ड्रिल रॉड और पी. वी. सी. केसिंग पाइप.	अंशत: इस प्रकार कि प्रवेश कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मालों का क्रय छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत अन्य व्यवसायी से किया जाए.
4.	फलाई-एश	प्रवेश कर मुक्त	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट मालों का प्रवेश छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा छत्तीसगढ़ के किसी स्थानीय क्षेत्र से किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10/27/2002/वा. क./पांच (34).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2002/वा. क./पांच (34), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-27/2002/CT/V (34).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby makes the following amendments :—

AMENDMENTS

1. In the Notifications given below for the figures "31-3-2002", the figures "31-3-2003" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. & Date (2)
1.	A-3-20-2000, ST-V (19), Date 3-3-2000
2.	A-3-20-2000, ST-V (23), Date 29-3-2000
3.	A-3-28-2000, ST-V (32), Date 13-4-2000
4.	A-3-28-2000, ST-V (33), Date 13-4-2000
5.	A-3-28-2000, ST-V (34), Date 13-4-2000
6.	A-3-28-2000, ST-V (39), Date 17-4-2000
7.	F-10-259/2001/CT/V (28), Date 21-6-2001
8.	F-10-376/2001/CT/V (53), Date 14-9-2001
9.	F-10-379/2001/CT/V (55), Date 5-10-2001
10.	F-10-379/2001/CT/V (58), Date 18-10-2001
11.	F-10-372/2001/CT/V (64), Date 8-11-2001

2. In the Notification, at serial number 7 in above list, in the schedule after serial No. 1 following shall be inserted :—

2.	Atta, Maida, Suji and Wheat Bran.	Exempt from entry tax.	When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) from another registered dealer under the said Adhiniyam.
3.	Cane Basket, Drill Rod and P.V.C. Casing Pipe.	Partly so as to reduce the rate of entry tax to 1%.	When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) from another registered dealer under the said Adhiniyam.
4.	Fly-ash	Exempt from entry tax.	When the goods specified in column (2) are entered by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) from any local area within Chhattisgarh state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-28/2002/वा. क./पांच (35).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

संशोधन

1. नीचे दी गई अधिसूचनाओं में अंक "31-3-2002" के स्थान पर अंक "31-3-2003" प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रमांक (1)	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक (2)
1.	ए-3-36-2000, विक-पांच (61), दि. 9-8-2000
2.	ए-3-28-2000, विक-पांच (38), दि. 17-4-2000
3.	एफ-10-332/2001/वाक/पांच (38), दि. 10-8-2001
4.	एफ-10-372/2001/वाक/पांच (51), दि. 10-9-2001
5.	एफ-10-385/2001/वाक/पांच (60), दि. 29-10-2001
6.	एफ-10-391/2001/वाक/पांच (65), दि. 9-11-2001
7.	एफ-10-392/2001/वाक/पांच (71), दि. 12-11-2001

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10/28/2002/वा. क./पांच (35).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/28/2002/वा. क./पांच (35), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10/28/2002/CT/V (35).—In exercise of powers conferred by Section 8 (5) of Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) the State Government hereby makes the following amendment :—

AMENDMENTS

In the Notifications given below for the figures "31-3-2002", the figures "31-3-2003" shall be substituted :—

S. No. (1)	Notification No. & Date (2)
1.	A-3-36-2000, ST-V (61), Date 9-8-2000
2.	A-3-28-2000, ST-V (38), Date 17-4-2000
3.	F-10-332/2001/CT/V (38), Date 10-8-2001
4.	F-10-372/2001/CT/V (51), Date 10-9-2001
5.	F-10-385/2001/CT/V (60), Date 29-10-2001
6.	F-10-391/2001/CT/V (65), Date 9-11-2001
7.	F-10-392/2001/CT/V (71), Date 12-11-2001

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (36).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है), की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक 1-4-2002 से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	एल्युमिनियम के बर्तन और पान से पत्ते.	धारा 9 के अधीन कर के भुगतान से मुक्त
2.	प्लाईवुड, एयर कूलर, मोल्डेड फर्नीचर, मोटर पार्ट्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 8 प्रतिशत हो जाय.
3.	ईंटे, पम्प्स और ऑइल एंजिन्स	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (36)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (36), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (36).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), (hereinafter referred to as the Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam to the extent specified in column (3) of the Schedule for the period from 1st April 2002 to 31st March 2003 :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Aluminium utensils and betel leaves	Exempt from payment of tax under Section 9
2.	Plywood, air cooler, moulded furniture, motor parts.	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 8%
3.	Bricks, pumps and oil engines	Partly so as to reduce the rate of tax under Section 9 to 4%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (37).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जिसे इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-5-1-94-विक-पांच (22), दिनांक 1-4-95 को निम्नानुसार संशोधित करती है :—

संशोधन

1. अधिसूचना में अनुसूची में प्रविष्टि क्रमांक 7 के बाद निम्न अंत: स्थापित की जाएगी :—

8. एल्युमिनियम इन गॉट और एल्युमिनियम वायर रॉड जब छत्तीसगढ़ में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाए. : 2 प्रतिशत

2. उपरोक्त संशोधन 1-4-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वा.क./पांच (37), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (37).—In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 13 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby amends the Notification No. A-5-1-94-ST-V (22), dated 1-4-95 as given below :—

AMENDMENT

1. In the Schedule to the Notification after entry No. 7, the following shall be inserted :—

8. Aluminium ingot and Aluminium wire rode : when used as raw material by small scale industries located in Chhattisgarh. 2 percent

2. The amendment shall be effective from 1-4-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (38).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम

(4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 1-4-2002 से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	माल का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सीमेंट	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय.	
2.	भारी अर्थ मूविंग उपकरण और मशीनरी.	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय.	
3.	स्टील फेब्रीकेटेड गुड्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.
4.	लोहे की चद्दरें	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाय.	
5.	स्टील वायर	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.
6.	एल्युमिनियम से बने थर्माइट फ्लक्स (एल्युमिनियम पाउडर), वायर्स, केबल्स, स्ट्रीप्स, वाईडिंग वायर, कंडक्टर्स और एक्सट्रूडेड सेक्शन्स.	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.
7.	प्लाईवुड	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाय.	जब छत्तीसगढ़ में स्थित औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.
8.	खाद्य तेल और खली.	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाय.	

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	तैयार पोशाकें	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कर की दर घटकर 4 प्रतिशत हो जाए.	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वा.क./पांच (38), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (38).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act. 1956 (No. 74 of 1956), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) for the period from 1st April, 2002 to 31st March. 2003 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Cement	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (2) of Section 8 to 4%.	
2.	Heavy earth moving equipment and machinary.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (2) of section 8 to 4%.	
3.	Steel fabricated goods	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (2) of Section 8 to 4%.	When manufactured and sold by small scale industries located in Chhattisgarh.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Iron sheets	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 1%.	
5.	Steel wire	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 2%.	When manufactured and sold by small scale industries located in Chhattisgarh.
6.	Thermite flux (Aluminium powder), wires, cables, strips, winding wire, conductors and extruded sections made of Aluminium.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 2%.	When manufactured and sold by small scale industries located in Chhattisgarh.
7.	Plywood	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (2) of Section 8 to 4%.	When manufactured and sold by industries located in Chhattisgarh.
8.	Edible oil and oil cake.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (1) of Section 8 to 2%.	
9.	Ready made garments.	Partly so as to reduce the rate of tax under sub-section (2) of Section 8 to 4%.	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (39).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1-4-2002 से 31-3-2003 तक नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अधिनियम के अंतर्गत उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है. (4)
1.	लोहे की चद्दरें	प्रवेश कर मुक्त	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए.

(1)	(2)	(3)	(3)
2.	लोहे की चद्दरें	प्रवेश कर मुक्त	जब कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाए, और उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयत अन्य व्यवसायी को संलग्न घोषणा पत्र पर कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए विक्रय किया जाए.

परिशिष्ट

(वा. क. विभाग की अधिसचूना क्रमांक . . . . दिनांक . . . . के अंतर्गत)

मै, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . धारक . . . . (व्यवसायी का नाम) . . . . (स्थान) एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र क्रमांक . . . . धारक व्यवसायी . . . . से नीचे दिये गये विवरण वाले माल क्रय किये हैं और उक्त माल कच्चे माल के रूप में मालों का निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु आशयित हैं.

क्रय किये गये माल का विवरण

* क्रय आदेश/बिल/इनवाईस/केश मेमो/चालान का विवरण		क्रय माल का वर्णन	मात्रा	मूल्य	
क्रमांक	दिनांक			रुपये	पैसे
(1)		(2)	(3)	(4)	

योग रुपये . . . .

कुल मूल्य (अंकों में) . . . . रुपये (शब्दों में) . . . . केवल

क्रेता पंजीयत व्यवसायी के हस्ताक्षर

दिनांक . . . .

स्थान . . . .

* जो लागू न हो उसे काट देवें.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (39), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (39).—In exercise of powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the schedule given below from payment of tax under the said Adhiniyam form 1st April, 2002 to 31st March, 2003, to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the Schedule :—

SCHEDULE

S. No.	Class of goods	Extent of exemption	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Iron Sheets	Exempt from Entry Tax.	When the goods specified in column (2) are entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 for use as raw material.
2.	Iron Sheets	Exempt from Entry Tax	When the goods specified in column (2) are entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiyam, 1994 and sold, to another registered dealer under the said Adhiniyam for use as raw material against a declaration in appended form.

APPENDIX

(Under CTD Notification No. ....dated..........................)

I. ....(name of the dealer) of ....(place) holding registration certificate No. ....under the Chhattigarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) hereby declare that I have purchased the goods, particulars of which, are given below form.............................(Name of the dealer) holding registration certificate No. ....under the said Adhiniyam and the said goods are intended for consumption or use as raw material by me in the manufacture of goods.

Particulars of goods purchased

*Particulars of Purchase Order/Bill/Invoice/Cash Memo/ Challan No. Date (1)	Description of goods purchased (2)	Quantity (3)	Value Rs. P. (4)

Total Rs. ....

Total value (in figures) Rs. ....(in words) Rs. ....only

Date ....

Place.............................

....
Signature of the dealer

* Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattigarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (40).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 4-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-5-14-97-विक-पांच (78), दिनांक 29-9-97 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूची में प्रविष्टि 1 में :—

(1) कॉलम (3) में शब्द "और फर्नेश ऑइल" 1-4-2002 से विलोपित किए जाएंगे.
(2) कॉलम (3), (4) तथा (5) में प्रविष्टि 6 के बाद निम्न अंतःस्थापित की जायेगी :—

7.	फ्लाई-एश छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश कराने पर.	1-4-2002	10 प्रतिशत
8.	(एक) फर्नेश ऑइल जब पावर जनरेटिंग सेट्स के लिए बोरइ, जामुल, अरसगेटा, रामबोड़, तिफरा, दर्रामुरा, भूपदेवपुर, रवान, सोनाडीह, रावन, टेकरी, टंडवा, कुंदरू और हिरमी स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कराया जाए.	1-4-2002	25 प्रतिशत

(दो) फर्नेश ऑइल जब अन्य सब उपयोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कराया जाए.	1-4-2002	10 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (40).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-29/2002/वा. क./पांच (40), दिनांक 27-3-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-29/2002/CT/V (40).—In exercise of powers conferred by sub- section (1) of Section 4-A of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976) the State Government hereby, makes the following amendment in this departmental notification No. A-5-14-97-ST-V (78) dated 29-9-97, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule to the said Notification in entry 1 :—

(1) in column (3) the words "and furnace oil" shall be deleted w.e.f. 1-4-2002.

(2) in column (3), (4) & (5) after entry 6 following shall be inserted :—

7.	Fly-ash when entered into local area fromany place outside the state of Chhattisgarh	1-4-2002	10%
8.	(i) Furnace oil when entered for power generating sets in Borai, Jamul, Arsageta, Rambod, Tifra, Darramura, Bhupdevpur, Rwan, Sonadih, Rawan, Tekari, Tandwa, Kundaroo and Hiramee local areas.	1-4-2002	25%
	(ii) Furnace oil when entered for all other uses in all local areas of Chhattisgarh State.	1-4-2002	10%

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.